<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सन्तकबीर नगर।</u>

मुकदमा अपराध संख्या–685 / 18
धारा–379,411 भा0द0वि0 182 / 19
थाना–धनघटा,जिला–सन्तकबीर नगर।

<u>11.02.2019</u>

प्रार्थी नागेन्द्र चौहान पुत्र त्रिलोकी साकिन–काली जगदीशपुर थाना–महुली,संतकबीर नगर की ओर से थाना–धनघटा में उपरोक्त अपराध में निरूद्ध मार्शल जीप पंजीयन संख्या–यू0पी0 56टी–0212 को अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और मुख्य रूप से कथन किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का मालिक है। प्रार्थी की गाड़ी को चालक सुशील कुमार और खलासी इन्द्रजीत भाड़े पर चलाते हैं। उसके चालक व खलासी के विरूद्ध सामान चोरी करने का एफ0आई0आर0 दर्ज कर पुलिस ने फर्जी बरामदगी व गिरफ्तारी दिखाकर सुनील कुमार व इन्द्रजीत व रमेश उर्फ पंचम को पकड़कर जेल भेज दिया,तीनों मुल्जिमानों की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी के अनुसार गाड़ी मार्शल थाने में खड़ी–2 बरबाद हो रही है,सहादत में आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी उक्त गाड़ी को न्यायालय में उपस्थित करेगा । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने की आख्या के अनुसार मु0अ0सं0–685 / 18धारा–379,411 भा0द0वि0 थाना–धनघ्टा में मार्शल गाड़ी यू0पी0 56टी–0212 थाने पर दाखिल है जो थाना प्रांगण में खड़ी है। गाड़ी मालिक मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त है तथा उसके कब्जे से चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी शेष है। उक्त वाहन उक्त घटना में प्रयुक्त किया गया है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों व संबंधित थाने की आख्या का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा दाखिल पंजीयन प्रमाण पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी नागेन्द्र ही निरूद्ध मार्शल जीप पंजीयन संख्या–यू0पी0 56टी–0212 का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी के अनुसार उपरोक्त तीनों मुल्जिमान की जमानत हो चुकी है। उक्त वाहन का अन्य कोई दावेदार नहीं है। वाहन एक चल सम्पत्ति है,जिसके थाने में खड़ी रहने से उसके कल पुर्जे खराब होने तथा प्रार्थी की अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना है। अतः निम्न शर्तों के अधीन उपरोक्त वाहन को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

प्रार्थी द्वारा मु0 10,00,000 / –रूपये के निजी बन्ध–पत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू तथा इस आशय का अण्डरटेकिंग कि जब भी न्यायालय / अभियोजन को आवश्यकता होगी,वह उक्त वाहन को स्वयं खर्चे पर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत करेगा तथा दौरान मुकदमा उक्त वाहन को किसी के पक्ष में विकय नहीं करेगा,न ही उसके रंग–रूप में कोई परिवर्तन करेगा, न ही उक्त अपराध की पुनरावृत्ति करेगा,दाखिल करने के उपरान्त थानाध्यक्ष थाना–धनघटा,जिला–सन्तकबीर नगर को आदेशित किया जाता है कि मामले में निरूद्ध मार्शल जीप पंजीयन संख्या–यू0पी0 56टी–0212,यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर देवें।

सी0जे0एम0
सं0क0नगर।